



मट्स एण्ड बाउण्डस के करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिये जाते हैं कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के तहत काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि मौके पर उपस्थित रहे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही करें। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा०मि० हो। तहसीलदार जैतारण को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें।


सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-ब्यावर

निर्णय आज दिनांक 17/12/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-ब्यावर

